

खान आयुक्त का न्यायालय

अपील वाद संख्या— 06 / 2026

जिला—पटना

सन्नी कुमार

.....

वादकर्ता

बनाम

समाहर्ता, पटना एवं अन्य

.....

प्रतिपक्ष

आदेश

02.09.2026

1. वर्तमान अपील श्री सन्नी कुमार द्वारा समाहर्ता, पटना के खनन अधिहरण वाद संख्या 02 / 2024-25 में दिनांक 01.04.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।
2. मामला संक्षेप में यह है कि पटना जिलान्तर्गत परेव मौजा में जप्त भण्डारित बालू की बिक्री हेतु दो अनुज्ञप्तिधारी का चयन किया गया था, जिसमें से एक अनुज्ञप्ति संख्या-64 / 2021 के अनुज्ञप्तिधारी—श्री सन्नी कुमार का कार्यालय में दिए गए आवेदन के आधार पर नियमानुसार चयन किया गया था। परेव मौजा में कुल भण्डारित जप्त बालू की मात्रा 23,40,000 घनफीट थी, जिसको दो भागों में बराबर-बराबर बांटते हुए 11,70,000 घनफीट बालू अनुज्ञप्ति संख्या-64 / 2021 के अनुज्ञप्तिधारी श्री सन्नी कुमार को सीमांकन करते हुए कार्यालय ज्ञापांक-1893, दिनांक-07.08.2021 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। इस क्रम में तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, पटना द्वारा दिनांक-07.10.2021 को किए गए स्थलीय जाँच/भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि पी0एम0यू0 से दिनांक-07.10.2021 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कलस्टर में शेष 7,18,750 घनफीट बालू बिक्री किया जाना बाकी था, जबकि भण्डारण स्थल पर आवंटित बेचने योग्य बालू की मात्रा लगभग 15,000 घनफीट ही बची थी, जिसके आलोक में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यालय पत्रांक-2713, दिनांक-07.10.2021 द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण किया गया।

3. जाँच के अनुसार अनुज्ञप्ति संख्या-64/2021 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 7,18,750 घनफीट बालू बिना ई-चालान के अवैध तरीके से बिक्री कर दी गई, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम-11/43/39 का उल्लंघन है एवं नियम-56 के तहत दण्डनीय है। अपीलकर्ता द्वारा बिना परिवहन चालान के बिक्री किए गए कुल 7,18,750 घनफीट बालू के लिए जिला खनन कार्यालय, पटना के पत्रांक-1817, दिनांक-28.07.2022 से रु0 3,82,73,438/- (तीन करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार चार सौ अड़तीस) का दंड अधिरोपित किया गया एवं बिहटा थाना में प्राथमिकी काण्ड संख्या-813/22, दिनांक-19.08.2022 दर्ज की गई।
4. अपीलकर्ता द्वारा बालू बिक्री की अनुमति अथवा शेष बालू का मूल्य वापस करने के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC N0.-11761/2022 दायर की गयी, जिसमें दिनांक-24.08.2022 के आदेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, पटना के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी गई। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में खनिज विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा आदेश ज्ञापांक-2541, दिनांक-01.10.2022 से अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा पुनः CWJC N0.-14372/2023 दायर की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-04.02.2025 को पारित आदेश से वैधानिक (statutory) अपील दायर करने का निदेश देते हुए निष्पादित कर दिया गया। समाहर्ता, पटना द्वारा (खनन अधिहरण वाद संख्या-02/2024-25) निष्पादित करते हुए समक्ष दायर अपील को दिनांक-01.04.2026 के आदेश से अधिरोपित जुर्माने की राशि वसूली करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी, पटना को दिया गया, जिसके विरुद्ध वर्तमान वाद दायर है।
5. अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित तथ्य/बिन्दु समर्पित किये गये हैं:-
 - i. उनके द्वारा 11,70,000 घनफीट बालू के लिए पूरी राशि जमा कर दी गयी थी। फिर भी उन्हें बालू बिक्री की अनुमति नहीं दी गयी।

- ii. उनपर बिना चालान के बालू बिक्री का आरोप लगाया गया है, जो गलत है।
 - iii. दिनांक-26.10.2021 तक 11,70,000 घनफीट में से 4,63,050 घनफीट बालू की बिक्री हो सकी थी एवं 7,06,950 घनफीट बालू स्टॉक में शेष रह गया। इसलिए शेष मात्रा की राशि उन्हें वापस लौटाई जाए।
 - iv. वर्तमान मामले में अपराध के शमन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए नियम-56 के आधार पर बालू के अवैध परिवहन की स्थिति में दंड अथवा बालू की कीमत को क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है।
 - v. उनके द्वारा दिनांक-20.07.2022 को एक फर्म नियुक्त कर बालू की मापी कराई गई, जिसमें 20,66,420 घनफीट बालू कलस्टर-5 में उपलब्ध पाया गया।
 - vi. कथित निरीक्षण की कोई पूर्व सूचना उन्हें नहीं दी गयी। प्राथमिकी एवं कारण पृच्छा में उल्लिखित बालू की मात्रा अनुमान आधारित है। अंत में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक-01.04.2026 के आदेश को खारिज करने का अनुरोध करते हुए शेष बालू की कीमत वापस लौटाने का अनुरोध किया गया है।
6. अपीलकर्ता को सुना एवं अभिलेख को देखा। जप्त बालू की बिक्री के लिए जिला खनन कार्यालय, पटना के ज्ञापांक-1893, दिनांक-07.08.2021 द्वारा अपीलकर्ता को कलस्टर-5 में से 11,70,000 घनफीट बालू बिक्री के लिए आवंटित करते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश में यह शर्त भी अंकित थी कि अनुज्ञप्तिधारी को बालू भंडारित स्थल पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। दिनांक-07.10.2021 को खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक के भौतिक सत्यापन के पश्चात स्पष्टीकरण के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रति-उत्तर में भंडारित स्थल पर उपलब्ध बालू की मात्रा के संबंध में कोई साक्ष्य खनिज विकास पदाधिकारी, पटना अथवा समाहर्ता, पटना को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके द्वारा लगभग एक वर्ष बाद ड्रोन सर्वे कराया गया, जबकि अपीलकर्ता द्वारा सुनवाई में स्वयं स्वीकार किया गया कि दिनांक-30.09.2021 को कार्यादेश की अवधि समाप्त

होने के पश्चात् उस क्षेत्र पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त ड्रोन सर्वे कराये जाने की सूचना उनके द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, पटना को भी नहीं दी गई है, जिससे इस मापी के वैधता की पुष्टि हो सके। सुनवाई के दौरान दिनांक— 31.07.2026 को अपीलकर्ता को अक्टूबर, 2021 में भंडारित स्थल पर उपलब्ध बालू की मात्रा के संबंध में साक्ष्य, वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ आदि उपलब्ध कराने हेतु समय प्रदान किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। निरीक्षण की तिथि को यदि बालू उपलब्ध होता तो वह उसका साक्ष्य निश्चित तौर पर उपलब्ध करा पाते। जबकि अपीलकर्ता को भंडारित स्थल पर CCTV कैमरा कार्यादेश की शर्त के आलोक में लगाना अनिवार्य था। अपीलकर्ता द्वारा अक्टूबर, 2021 में बालू की मात्रा के संबंध में कभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक के निरीक्षण को खारिज किया जा सके। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बगैर चालान के भंडारित बालू बेचा गया। तत्समय प्रभावी बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-56 के अनुसार खनिज का प्रेषण बगैर वैध चालान के प्रतिबंधित था, जिसके लिए शमन शुल्क लगाने हेतु खनिज विकास पदाधिकारी सक्षम थे। उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का दंड नहीं लगाये जाने एवं बालू का मूल्य वापस करने का दावा आधारहीन है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालन हेतु भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 5755

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, पटना/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, पटना/
श्री सन्नी कुमार, पिता- रामचन्द्र सिंह, ग्राम+पो0-काब, थाना-रानी
तालाब, जिला-पटना, ई-मेल-avinashshekhar05@gmail.com-/
आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

एम0, पटना, दिनांक- 02/09/26

2/9/26
विधि पदाधिकारी